न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 184/2025 बउनवानी कैलाश चन्द वर्मा बनाम अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर नि0बी–23 जय जवान अपार्टमेंट विधाधर नगर सेक्टर–1 जयपुर

GCMS No-2025/359

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
18.12.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 10.10.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर **" आप द्वारा पारित निर्णय अपील (सू.का.अधि.) संख्या 83/2025 में निर्णय की पालनार्थ प्रेषित प्रति में लोक सूचना अधिकारी का सही नाम अंकित करने बावत् तथा बिन्दू संख्या A उक्त परिवाद पत्र पर आप द्वारा सूचना देने की दिनांक तक की गई कार्यवाही पत्रावली नोटशीट एवं जारी किये गये नवीन संशोधित आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने हेतु"** अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः–एफ13(01)(154)/सूकाअ/2025/1404 दिनांक 28.11.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2025 मे चाही गयी सूचना कोर्ट अनुभाग से प्राप्त की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक 1318 दिनांक 06.11.2025 द्वारा तथा आवेदन पत्र में सही पता अंकित नहीं करने की सूचना अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय सवाईमाधोपुर के पत्रांक 1400 दिनांक 28.11.2025 द्वारा पुनः अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 10.10.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा संबंधित अनुभाग से प्राप्त की जाकर अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner